Supplement to Aryavart Lahore, Feb. 1941 issue.

ऋग् यजुः

ओ३म्

कृण्वन्तो विश्व मार्यम् ॥ वेद ॥

जन गणना और आर्य समाज

जिसमें जनगणना सम्बन्धी पूर्ण सरकारी तथा
आर्यसामाजिक वाकफियत दी गई है
व विरोधियों के आक्रमणों का उत्तर
भी दिया गया है ।

---:o:---

लेखक:
श्री हितैषी जी अलावलपुरी
संचालक तथा सम्पादक
साप्ताहिक उर्दू 'प्रकाश' तथा 'आर्यावर्त्त'
मासिक हिन्दी,
लाहौर ।

मिलने का पता:-
मैनेजर "प्रकाश"
कृष्णा निस्बत रोड, लाहौर ।

कँवल आर्ट प्रैस, अनारकली, लाहौर में
एल० सी० हितैषी मुद्रक तथा प्रकाशक
द्वारा छप कर प्रकाशित हुआ ।

साम अथर्व

ओ३म्

जनगणना तथा आर्यसमाज

प्रारम्भिक जानकारी भारत में जनगणना प्रति दश वर्ष के अनन्तर होती है। गत जनगणना १९३१ में हुई थी सरकारी घोषणा के अनुसार ततसम्बधी कार्य फरवरी के मध्य में आरम्भ हो जावेगा। इस पर सरकारी व्यय का अनुमान ५० लाख रुपये का है। इस कार्य पर १५ लाख कार्यकर्त्ता नियुक्त होंगे। इस से पूर्व जनगणना केवल एक दिन अर्थात २६ फरवरी को हुआ करती थी परन्तु इस बार तीन दिन, २७ फरवरी से १ मार्च तक होगी।

२ प्रकार की जनगणना जनगणना दो प्रकार की होगी—(१) प्रारम्भिक (Preliminary) और (२) अन्तिम (Final)। प्रारम्भिक शीघ्र आरम्भ होने वाली हैं और अन्तिम २७ फरवरी से १ मार्च तक होगी—१ मार्च की रात्री को (Roll-call) उपस्थिति की जांच होगी। प्रारम्भिक जनगणना ठीक उसी प्रकार होती है जैसे म्युनिसिपल कमेटियों और एसम्बली के वोटरों की सूचियां घर घर जाकर तैयार हुआ करती हैं। घरों पर नम्बर लगाये जाते हैं और सरकारी कागज़ात की खानापुरी की जाती है।

जन गणना कानून के अनुसार प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार को अपनी अवैतनिक सेवायें दे सकता है, गणक के रूप में या प्रबन्धक के रूप में। प्रारम्भिक जन गणना का कार्य आरम्भ होते ही आर्य कार्य कर्ताओं को

सरकारी गणकों के साथ रह कर अपने गांव, मुहल्ले, वार्ड अथवा नगर के आर्य हिन्दुओं की ठीक २ गणना करवानी चाहिये कि गणक कोष्टकों की पूर्ति ठीक प्रकार से करते हैं या नहीं।

अनुचित कार्यवाही की रिपोर्ट यदि सरकारी गणक ठीक प्रकार से कोष्टकों की पूर्ति न करें या जो कोई लिखाये वह न लिखें अथवा अपनी ओर से कुछ लिखने का यत्न करें या अन्य किसी प्रकार की अनुचित कार्यवाही करें तो इसकी रिपोर्ट सुपरिनटेन्डेन्ट जनगणना पंजाब लाहौर, ज़िला आर्य समाज, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरुदत्त भवन, लाहौर तथा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा श्रद्धानन्द बाज़ार, देहली को तत्काल तार और पत्र द्वारा करनी चाहिये, और अनुचित कार्यवाही को रोकने का यत्न करना चाहिये। ध्यान रहे कि पंजाब की जनगणना के सुपरिनटेन्डेन्ट खान बहादुर शेख फज़ले इलाही हैं।

जनगणना के कागजात में कोष्टकों की पूर्ति जनगणना १९४१ के लिये खानापुरी का निम्न फार्म है:—

फार्म बराय मरदमशुमारी १९४१

(TRUE-COPY)

(१) नाम

(२) जिन्स (पुरुष या स्त्री ?)

(३) नसल (कौम या ज़ात)

(४) मज़हब (धर्म)

(५) शादी शुदा, गैर शादी शुदा, रंडवा, विधवा या त्यक्ता

(६) आयु

(७) विवाहित स्त्री से उत्पन्न बच्चों की संख्या
उनमें से कितने जीवित हैं ?

(८) स्त्री की आयु पहले बच्चे के जन्म के समय

(६) क्या आपकी आजीविका पूर्ण रूप से या किसी अंश में दूसरे पर निर्भर है ?

(१०) यदि ऐसा है तो जिस पर आपकी आजीविका निर्भर है उसकी आजीविका का साधन क्या है ?

(११) क्या आपने (१) वैतनिक सहायक
(२) घर के लोग काम पर लगाये हुये हैं
यदि हां तो कितने ?

(१२) क्या आप स्वावलम्बी है ?

(१३) यदि नहीं तो क्या आप आजीविका की खोज में हैं
यदि खोज में हैं तो कब से ?

(१४) आजीविका के साधन और उनकी उपयोगिता।

नोट:—जिसने प्रश्न नं० ६ के आगे किसी अंश में या प्रश्न सं० १४ के आगे किसी की सहायता द्वारा आजीविका का साधन लिखवाया हो तो उसे पूछें:—

(१५) क्या आजीविका का यह साधन वर्ष भर रहता है
यदि नहीं तो वर्ष में कितना काल ?

(१६) यदि आप किसी अन्य के पास नौकर हैं तो आपके मालिक का कारोबार क्या है ?

(१७) क्या आप इसी ज़िले में उत्पन्न हुये थे यदि नहीं तो किस ज़िले में ?

(१८) मातृ भाषा क्या है ?

(१९) अन्य भारतीय भाषाएं जो प्राय: आप प्रयोग में लाते हैं

(२०) क्या आप लिख और पढ़ सकते हैं ? यदि लिख सकते हैं तो कौनसी लिपि में ?

(२१) शिक्षा कहां तक है ?

(२२) क्या आप अंग्रेज़ी लिख पढ़ सकते हैं ?

सावधानी ऊपर जो फार्म दिया गया हैं वह विस्तृत तथा सम्पूर्ण है इसमें कोष्टक संख्या ३, ४, १८, २० ऐसे हैं जिनको सावधानी से भरने की आवश्यकता है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब की आज्ञा है कि उपरोक्त कोष्टकों की पूर्ति इस प्रकार की जाय:—

३	४	१८	२०	१९
नसल कौम ज़ात	मज़हब	मातृ भाषा	लिपि	अन्य भाषाएं
आर्य	वैदिक धर्म	हिन्दी	नागरी हिन्दी	हिन्दी

कोष्टक संख्या २ के प्रश्नोत्तर में आप कोई ज़ात न लिखाएं, नसल, कौम और जात इन तीनों के लिये केवल आर्य लिखायें। हिन्दू या आर्य (हिन्दू) नहीं।

केवल हिन्दी मातृ भाषा हिन्दी और लिपि-हिन्दी नागरी दर्ज करायें। कोष्टक १९ में पूछा गया है कि अन्य भारतीय भाषायें जो प्राय: प्रयोग करते हैं लिखाएं, इसके उत्तर में आप केवल "हिन्दी" ही लिखाएं चाहे आप अन्य उर्दू, अरबी, फारसी, गुरुमुखी आदि कितनी ही भाषाएं क्यों न जानते हों। इससे लाभ यह होगा कि हिन्दी पढ़े लिखों की ठीक संख्या मालूम हो सकेगी। ऐसा न लिखवा कर यदि किसी ने हिन्दी के साथ उर्दू, फारसी आदि भी

लिखा दिया तो उसे उर्दू-भाषियों में गिन लिया जायगा और मातृ भाषा हिन्दी और लिपि नागरी हिन्दी लिखवाने का भी कोई लाभ न रहेगा। मुसलमान केवल उर्दू लिखाते हैं अतः आर्य-हिन्दुओं को केवल 'हिन्दी' ही लिखाना चाहिये, चाहे आप अन्य कई भाषाएं भी क्यों न जानते हों।

कोष्टकपूर्ति कराते समय यह ध्यान रखें कि सरकारी गणक अपने कागज़ात में वही लिखें जो आप लिखायें, ठीक न लिखने वाले की रिपोर्ट जन गणना के सुपर-इन-टेंडेगट (Supdt.) से करनी चाहिये। अशुद्ध लिखने वाला जन-गणना एक्ट १९३९ के आधीन दण्डनीय है। इस विषय में भारत सरकार के जन-गणना-कमिश्नर का पत्र नीचे देखें:—

New Delhi.

No : D. 218/1940. 4th Oct. 1940.

From

M. W. W. M. Yeatts Esq , C. I. E., I. C. S.,
Census Commissioner for India.

To

The Secretary,
International Aryan League, DELHI,

Sir,

Your letter, dated 23rd, December 1940, The instrictions to the enumroators are to enter the religion and caste of person as he gives them. It is for the individual to see that they make the correct return of these......"

इस पत्र से स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अधि-

कार है कि वह धर्म और ज़ात के खानों की पूर्ति जिस प्रकार चाहे करा सकता है। गणकों का कर्तव्य है कि वे कोष्ठकों की पूर्ति उसी प्रकार करें। यह देखना उस व्यक्ति का काम है कि वे ठीक प्रकार दरज करते हैं या नहीं

मज़हब-वैदिक धर्मी, और नसल-आर्य मजहब के खाने में आर्य समाजी अपना धर्म 'वैदिक' और नसल कौम और जात के खाने में केवल आर्य लिखवायें किसी के कहने या बहकाने से कि वैदिक धर्मियों या आर्यों का शुमार हिन्दुओं के ग्रागड-टोटल में नहीं होगा। अपने निश्चय से विचलित न हों। धर्म वैदिक और नसल आर्य लिखवाने से हिन्दू-हितों को कोई हानि नहीं पहुंचती, क्योंकि वे (आर्य-वैदिक-धर्मी) हिन्दुओं के ग्रागड-टोटल में शुमार होंगे जैसा कि पंजाब की मुरदम-शुमारी के सुपरिन्टेन्डेन्ट ख० ब० शेख फज़ले इलाही के निम्न पत्र से प्रगट है:—

No : 718/40

From

K. B Sheikh Fazil-Ilahi, P C. S.,
Census Superintendent, Punjab.

To

The Secretary,
Arya Priatinidhi Sabha Punjab, Lahore.

Sir,

Lahore : dated : 16th July, 1940.

With reference to your letter No 8046, dated the 6th July, 1940, I have the honour to say that the Vedic-Dharmis will, as usual, be included in the general total of Hindus,

Yours faithfully,
Sd. FAZIL-I-ILAHI.

अर्थात—"आपके पत्र सं० ४०४६ ति० ६-७-४० के उत्तर में सूचनार्थ निवेदन है कि वैदिक धर्मी सदैव की भान्ति इस बार भी हिन्दुओं के जनरल टोटल में गिने जावेंगे।

भवदीय:—(ह०) फज़ले इलाही

पिछले तीस वर्षों से यही नहीं कि इसी बार वैदिक धर्मियों (आर्यों) की गिनती हिन्दुओं के जनरल टोटल में होगी, वास्तव में सत्य यह है कि पिछले ३० वर्षों से वैदिक धर्मी आर्यों को जहां सरकारी कागज़ात में पृथक दिखाया गया है वहां उन्हें हिन्दुओं के जनरल टोटल मे भी। इसका प्रमाण नीचे दिये गये मरदम शुमारियों के आंकड़ों और उद्धरणों से मिल सकता है

जन गणना १६११

(Census of India Vol. 1, Part 2 Table 6)

भारत-जन-गणना खण्ड १, भाग २, नक़शा ६ के नीचे पृष्ट ३८ पर ये शब्द मिलते हैं:—

Theists (Brahmo and Arya Samajis) are included in the General total of Hindus but are also separately shown.

अर्थात— आर्य तथा ब्रह्म समाजी हिन्दुओं के जनरल टोटल में शामिल किये गये हैं, परन्तु साथ ही उनका संख्या पृथक भी दिखाई गई है। इसी सम्बन्ध में आगे जाकर पृष्ट ३८, ३६ पर दिये गये नकशे में निम्न प्रकार कोष्टकों की पूर्ति की गई है:—

सारे भारत में

Hindu Brahmo	Hindu (Arya)	Hindu Brahmanic	Total Hindus
हिन्दू (ब्रह्म)	हिन्दू आर्य	हिन्दू ब्राह्मण	कुल हिन्दू
5564	243445	217337943	217586892

जन गणना १९२१

(Census of India 1921 Vol. 1 Part 2 Table 6 p. p. 40, 41)

भारत जन गणना १९२१ खंड १, भाग २ नकशा ६ पृष्ट ४०,४१

सारे भारत में

हिन्दू ब्रह्म Hindu Brahmo	हिन्दू आर्य Hindu (Arya)	हिन्दू ब्राह्मणवादी Hindu Brahmanic	कुल हिन्दू Total Hindu
4388	467538	216260620	216734589

जन गणना १९३१

में हिन्दुओं की संख्या का नकशा बनाते हुये इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि आर्य हिन्दुओं के जनरल टोटल में शामिल हैं । यहाँ नीचे नक़शे में आर्यों और ब्रह्म ओं के साथ अन्य हिन्दुओं (others) की संख्या भी पृथक दी है और उन्हें हिन्दुओं के ग्रांड टोटल में शामिल किया गया। देखिये जन गणना १९३१ खण्ड १ भाग २ नक्शा ६ पृष्ठ ५१४-५१५

Census of India 1931 Vol.1 Part 2 Imeprial Tables (Table XVI p. 414-515)

सारे भारत में

Brahmanic ब्राह्मणवादी	Arya आर्य	Brahmo ब्रह्म	Others अन्य	Total Hindus कुल हिन्दू
219300645	990233	5378	18898884	239195140

उपरोक्त ३ जन गणना की रिपोर्टों से दिये गये उद्ध-

रणों द्वारा सिद्ध हो गया कि अब तक वैदिक धर्मियों, आर्यों की गिनती हिन्दुओं में होती आई है और सदैव की भाँति इस बार भी होगी। यदि आर्यसमाजी इस बार भी अपना मज़हब वैदिक धर्म और नसल आर्य लिखवाना चाहते हैं तो कोई नई या अनुचित बात नहीं कर रहे। फिर ऐसा करने से इस बात का भय भी तो नहीं कि वैदिक धर्मियों, आर्यों की गिनती हिन्दुओं के जनरल टोटल में न होगी। वह अवश्य होगी जैसा कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। अतः मज़हब के खाने में वैदिक धर्म और नसल के खाने में आर्य लिखवाना चाहिये।

क्यों ? मज़हब वैदिक धर्म और नसल आर्य ही क्यों लिखवायें ? हमारा कहना है कि धर्म हमारा वेद का अर्थात वैदिक और जाति आर्य है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इसे सनातनी भी अपना धर्म पुस्तक मानते है और आर्यसमाजी भी इस लिये धर्म वैदिक निश्चित है हाँ—रहा हमारी जाति का प्रश्न, सो ऋषि दयानन्द ने हमें सोते से जगाकर बताया कि तुम हिन्दू नहीं आर्य हो, वही आर्य जिनका वर्णन वेदों में है। आर्य नाम श्रेष्ठ का है। हिन्दू शब्द चारों वेदों, उनके ब्राह्मणों, उपनिषदों, अंगों, उपांगों, छः शास्त्रों, १८-पुराणों, तन्त्रों, संस्कृत काव्यों, नाटकों, रामायण और महा-भारत आदि में नहीं मिलता, इसके विरुद्ध आर्य शब्द ही सब में आया है।

हमारा प्राचीन नाम आर्य है।

वेद ऋग्वेद १-५१-८ में राजा को उपदेश है "विजानी ह्यर्यान्यान् ये च दस्यवः"। अर्थात, हे राजन ! तू आर्यों और दस्युओं को पहचान।

अथर्ववेद में आया है "उत्तगार्द्र उतायें" अर्थात् वैश्य आदि आर्यों और शूद्र (की दृष्टि) में मुझे प्यारा कर।

मनुस्मृति:—२-२२-१७ में इस देश की सीमाओं का वर्णन करते हुये इसे आर्यावर्त्त कहा है। यदि हमारा नाम हिन्दू होता तो हमारे देश को हिन्दुस्तान कहा जाता, परन्तु नहीं हमारा प्राचीन नाम आर्य है और इस देश का आर्य्यावर्त्त। इस के अतिरिक्त अध्याय २ श्लोक २२ अध्याय १० श्लोक ४५—५७ में कई बार आर्य शब्द आया है।

गीता—अध्याय २ श्लोक २ में आया है "अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम् कीर्तिकरमर्जुन" इस में स्पष्ट रूप में आर्य शब्द आया है।

वाल्मीकि रामायण—अयोध्याकाण्ड सर्ग ५७ अध्याय १८ से ५३ तक महाराज राम को कई बार आर्य पुत्र के नाम से सम्बोधित किया गया है, और तो और तुलसीदास ने भी अपनी रामायण मे महाराज राम को आर्य कहा है।

महाभारत—के उद्योगपर्व के श्लोक १५ म कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए आर्य कहा है।

पुराणों में—आर्य शब्द प्राय: आता है भविष्यत पुराण से कई प्रमाण दिये जा सकते हैं परन्तु विस्तारभय से नहीं दिये जा रहे।

सनातनी भी आर्य हैं उपरोक्त प्रमाणों के अतिरिक्त काशी में विश्वनाथ और अन्नपूर्णा के मन्दिरों के बाहिर जो पत्थर प्रवेशद्वारों पर लगे हैं उन पर स्पष्ट लिखा है:—"आर्य धर्मे तराणो प्रवेशो निषिद्धः" अर्थात् अनार्यों को अन्दर आने की मनाही है। मन्दिरों में आर्यसमाजी तो जाते

नहीं केवल सनातनी जाते हैं अतः इस तरह वह भी काशी के पण्डितों द्वारा आर्य माने गये हैं तो क्यों न वे भी अपने को आर्य लिखवायें ?

महर्षि पाननी की अष्टध्यायी—में जो जगविख्यात व्याकरण ग्रंथ है आर्य शब्द तो मिलता है परन्तु हिन्दू नहीं। नही अनादिकोष या गुणपाठ में कहीं हिन्दू शब्द आया है।

सारे विश्व को आर्य बनाओ—यह वेद में ईश्वर की आज्ञा है। मन्त्र यह है 'ओं इन्द्र वर्धन्तो अप्तुः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः," अतः सिद्ध हुआ कि न केवल हम आर्य हैं बल्कि सारे संसार को आर्य बनाने की ईश्वराज्ञा है। ऐसी अवस्था में हम 'आर्य' शब्द को छोड़कर हिन्दू अथवा कोई दूसरा नाम कैसे ग्रहण कर सकते हैं।

बहकावट में न आओ—आर्य समाज के जो विरोधी आर्यसमाज की शक्ति को घटाना चाहते हैं, वे हिन्दू संगठन की आड़ लेकर भोले भाले आर्यों को यह कह कर बहकाते फिरते हैं कि जाति 'आर्य' और धर्म 'वैदिक' लिखवाने वालों की गिनती हिन्दुओं में न होगी—वे धोखा देते और झूठ बोलते हैं या जो यह कहते हैं कि हिन्दुओं के ग्रांड टोटल में तो आर्यों की गिनती होगी लेकिन Local Bodies लोकल-बाडियों (म्यूनिसिपल कमेटी आदि में) में आर्य हिन्दुओं में नहीं गिने जावेंगे—वे भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कहने वालों को कई बार अपना पक्ष सिद्ध करने के लिये चैलेंज दिया जा चुका है परन्तु किसी को उत्तर देने का साहस नहीं हुआ। कितनी हास्यास्पद युक्ति है ! क्या यह कभी सम्भव है कि सरकार एक जगह (जन गणना के कागज़ों में)

तो आर्यों को हिन्दुओं में गिने और दूसरी जगह (लोकल-बाडियों में न गिने। ऐसा न कभी हुआ है न होगा।

वीर सावरकर और प्रादेशिक सभा ने इस भय से कि कहीं सरकार आगे चल कर कभी आर्यों को हिन्दुओं से पृथक न करदे, जातिआर्य (हिन्दू) लिखवाने की अपील की है परन्तु उनका यह भ्रम निर्मूल है। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि जन गणना के कागज़ों में हिन्दुओं का ही एक शीर्षक है जिसके अन्तर्गत दो उपशीर्षक दिये गये हैं; एक Orthodox Hindus (कट्टर पन्थी हिन्दू) और दूसरे सुधारवादी हिन्दू अर्थात aryas आर्य । आर्यों के लिये जनगणना के कागज़ों में कहीं पृथक शीर्षक नहीं । अतः यह सम्भावना निर्मूल है कि कभी हिन्दुओं से आर्यों को पृथक किया जा सकता है ।

जो व्यक्ति यह कहते हैं कि आर्य लिखवाने से हिन्दू जाति में तफरीक (भेद) होता है अतः आर्य न लिखवाओ, उन्हें हमारा कहना यह है कि आर्य समाज की पृथक सत्ता भी तो हिन्दू जाति में तफरीक का कारण है। कल कहोगे कि हिन्दू संगठन के लिये आर्यसमाज को बन्द करदो तो ऐसी बेहूदा मांग पर ध्यान तक देने को जब हम उद्यत नहीं हो सकते तो ऐसी अवस्था में हम आर्य कहलाने से कैसे रुक सकते हैं ?

हिन्दू संगठन की जिन्हें इतनी चिन्ता है यदि वे सब हिन्दुओं को आर्य लिखवाने की प्रेरणा करें तो न केवल हिन्दू जाति एक शक्ति बन जाय बल्कि सब भेद मिट जांय ।

आदि धर्मियों का ध्यान रखें–प्रधान 'पंजाब प्रांतीय दलित जातीय संघ' के एक पत्र के उत्तर में जनगणना सुप्रि-

न्टेन्डेन्ट ने बताया है कि गत जनगणना की तरह अगली जनगणना में आदि धर्मियों की गिनती हिन्दुओं में नहीं होगी, अतः आदि धर्मियों का ध्यान रखें। जालन्धर और होश्यारपुर के ज़िलों में इनका अधिक ज़ोर है। इन जिलों के आर्य भाई ध्यान रखें, और यत्न करें कि जहाँ वे खुद को वैदिक धर्मी लिखवायें वहां अन्य हरिजनों को आदि-धर्मी लिखवाने की प्रेरणा न करने पावें।

वाल्मीकियों की घोषणा—कामरेड इन्द्रचन्द्र मन्त्री 'बाल्मीकि यंगमैन एसोसीएशन' अमृतसर ने एक पोस्टर (विज्ञापन) द्वारा घोषणा की है कि बाल्मीकि हिन्दू (आर्य) हैं और वे जनगणना में हिन्दू (आर्य) लिखवायेंगे।

सिख आर्य लिखायें—सिख भाईयों ने भूल की जो हिन्दुओं से पृथक हो गये, हालांकि वे आर्यों से पृथक नहीं जब कि गुरु ग्रंथ साहेब में स्थान स्थान पर आर्य व नमस्ते शब्द आये हैं। सिख एक तरह से हिन्दू-जाति के क्षत्रिय थे, जिन का काम देश जाति और धर्म की रक्षा करना था। युद्ध सम्बन्धी कई कारणों से, केश, कंघा, कड़ा, कच्छ, कृपाण के जो चिन्ह उनके लिये आवश्यक बनाये गये थे, वे इस लिये नहीं थे कि वे इन के आधार पर आर्य जाति से पृथक हो जाँय और अपनी अलग जाति बनालें। गुरु गोविन्द सिंह जी ने स्पष्ट फरमाया है :—

गर तुम शिष्य हमारे आर्य,
सीस दियो तुम धर्म के कार्य।

अर्थात : ऐ आर्यो ! (सिखो !) यदि तुम हमारे शिष्य हो तो अपना बलिदान धर्म की रक्षा के लिये दो। गुरु जी की उपरोक्त आज्ञा के अनुसार तो सिखों का भी कर्तव्य

है कि अपना मज़हब "वैदिकधर्म" और जाति "आर्य" लिखायें।

हरिजनों के सम्बन्ध में—हरिजनों (चमारों और भंगियों) को बताया जाय कि उनकी आलइण्डिया डिप्रे-सिडक्लासिज़ लीग के प्रधान कामरेड अमींचन्द की ओर से कई बार उन के नाम पत्रों में अपील छप चुकी है कि हरिजन भाई अपना धर्मवैदिक लिखवायें।

मज़हबी रामदासिया सिख—३० अगस्त ४० को उच-कोट चक ४० बहेला ज़ि० लायलपुर में मज़हबी रामदासिया सिखों ने ज्ञानी लालसिंह के प्रधानत्व में जमा हो, प्रस्ताव पास कर, निश्चय किया था कि हम आगामी जनगणना में अपना धर्म सिख नहीं, वैदिक धर्म लिखायेंगे।

सावधान !

जनगणना में आर्यों की संख्या १० लाख थी जो ठीक नहीं कही जा सकती, क्योंकि विरोधियों की ओर से आर्यों की संख्या कम करने के लिये कई उचित और अनुचित प्रयत्न किये गये और कांग्रेस की ओर से इसका बाइकाट किया गया, जिस से आर्य हिन्दुओं की संख्या ठीक न लिखी गई। अतः इस बार आर्य हिन्दुओं को खूब चौकस होकर इस सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये। जहां कोष्टको की पूर्ति ठीक करवायें वहां यह देखें कि दूसरे भी ऐसा ही करते हैं।

१० लाख से ५० लाख हो जाओ !

यदि प्रत्येक आर्य जनगणना सम्बन्धी अपना कर्त्तव्य ठीक प्रकार से पालन करें तो कोई कारण नहीं कि हमारी संख्या ५० लाख न होजाय, क्योंकि पिछले १० वर्षों

में आर्य समाज का बहुत काम हुआ है और हैदराबाद सत्याग्रह के कारण आर्यसमाज उन प्रान्तों में भी लोकप्रिय हो गया है जहां आर्य समाज का नाम तक कोई न जानता था। यत्न करो और ५० लाख हो जाओ। संख्या शक्ति है और शक्ति हकूमत।

एक २ आर्य के नाम सन्देश।

प्रत्येक आर्य उपदेशक, अध्यापक, पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, कलर्क, विद्यार्थी, पंडित, पुरोहित, नाई, तांगा, मोटर डराईवर, गृहस्थी, युवक, वृद्ध, सेठ, ज़िमींदार, मज़दूर के नाम यह सन्देश पहुंचा दो हर घर, मन्दिर, स्कूल, कालेज कारखाना, धर्मशाला, चलती मोटर-तांगा-गाड़ी, बाजार मुहल्ला, शहर, कस्बा और गांव में उठते, बैठते चलते-फिरते जो कोई भी हिन्दू आर्य हरिजन, और सिख मिले उसे कहो कि वह अगली जनगणना में अपना धर्म वैदिक--नसल और ज़ात के कोष्टक में आर्य, मातृभाषा के कोष्टक में हिन्दी न केवल खुद लिखवाये बल्कि हर मिलने वाले से यही प्रेरणा करे, क्योंकि ऋषि दयानन्द की भी यही आज्ञा है—१८८० में मन्त्री आर्य समाज मुलतान को उनके पत्र में जनगणना के कागज़ों में मज़हब के खाने में वैदिक धर्म और जाति के खाने में आर्य लिखाने का आदेश दिया था।

याद रखो !

यदि किसी ने जनगणना के सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य के पालन में कोताही की तो आने वाली सन्तानें उसे कभी क्षमा न करेंगीं।

पत्रोत्तर